कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः— 5091 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 14-6 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

द्वाराः— निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषयः— प्रस्तावित बुगीधार मेहलचौरी —बछवावाण मोटर मार्ग के किमी0 250 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः—

क0	प्रश्न	उत्तर
1	. In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-6 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the 434.32 ha CA has been done prior to 2008 against 1031.955 ha of forest land diverted which is not the correct reply of the query. As per data given in para-14 of online Part-II, the CA stipulated (434.32 ha) is not commensurate to the forest land diverted (1031.955 ha). Logically, CA stipulated should be double the area of forest land diverted. Any mismatch between the CA stipulated and the forest land diverted is required to be clarified suitably.	पार्ट II में सुधार किया गया है।
2	In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-7 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the density has been revised to 0.3 now in online Part-II and accordingly, NPV has been recalculated but, the density is mentioned as 0.2 instead of 0.3 in the NPV calculation sheet attached with the reply.	NPV के घनत्व को पार्ट II में .2 किया गया है। NPV का आगणन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
3	In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-8 of EDS dated 18.05.2016, the reply of PCCF & Nodal Officer is not understandable. Further, the DFO has mentioned that the same has been corrected but, the working plan prescriptions are still not given in para-5 of online Part-II in respect of 2.38 ha of RF land proposed for diversion.	पार्ट II में सुधार किया गया है।
4	4. In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-9 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that an estimate of Rs. 35.00 lacs has been prepared to stop soil erosion but, the details of the mitigative measures to be implemented has not been submitted/ attached with the reply	भू— क्षरण की रोकथाम के लिए रू0 35.00 लाख का आगणन किया गया है।(संलग्न)

5	In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-10 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the land required for the road is Civil and Panchayati Land and the affect of Leopard etc. is negligible in the area. Construction of road will have any special impact. But, it is seen from para-2 of online Part-II that 2.38 ha of Reserve Forest Land is also involved in the proposal which is contradictory to the reply given above.	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से वन्य जन्तुओं पर प्रभाव नगण्य होगा।
6	The reply of point No.-2 of EDS dated 24.05.2016 has not been submitted by the State Govt. wherein it was informed that the DSS analysis of the area proposed for CA revealed that 1.00 ha area is falling in very dense forest which is not considered suitable for CA. State Govt. was asked to change the 1.00 ha area proposed for CA in some other suitable area.	क्षतिपूरक वृक्षारोण हेतु चयनित स्थल उपयुक्त है। 1 है0 क्षेत्र में झाडी है, जिस कारण क्षेत्र घना दिखाई दे रहा है।

संलग्नः– यथोपरि।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नामः—प्रस्तावित बूगीधार मेहलचौरी बछवावाण मोटर मार्ग के किमी0 25 से ग्राम स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग के विभिन्न नालों में भूमि संरक्षण हेतु चैकडैम निर्माण कार्य ।

लोहवा रेंज केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर।

क्र0स0ं	कार्य का विवरण	सं0	नपत मीटर में			दर	धनराशि
			लं0	चौ0	ऊ		
1	विभिन्न नालों में भूमि संरक्षण हेतु चैक डैम का निर्माण।	370	3.00	1.5	1.5	9500.00	35,15,000.00

किन्तु देय धनराशि रू0 35,00,000.00 (पैतीस लाख रू0) मात्र

(नीतु लक्ष्मी एम0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नामः—प्रस्तावित बूगीधार मेहलचौरी बछवावाण मोटर मार्ग के किमी0 25 से ग्राम स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5—3/2007 —एफ0सी0 दिनांक 05—02—2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नॉनुसार हैः—

1— इको—क्लास की श्रेणी..... V

2— हरियाली का धनत्व..... 0.2

3—एन0पी0वी0 की दर 6,57,000.00

4—आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....2.73

5—कुल देय एन0पी0वी0.....रू0 17,93,610 .00

(नीतु लक्ष्मी एम0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।